राजस्थान – सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

मु0नं0 143/2012

आदेश दिनांकः 12.03.2020

अनुवानी

गयासुदीन आदि

बनाम

सईदन आदि

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उभय पक्ष उपस्थित प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य आपत्ति अंकित की है कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 1579/996 तादादी 10 बिघा 10 बिश्वा वाके रोही कस्बा चूरू के बारे में मौजूदा दावा के वादीगण गयासुदीन आदि व उनके वारिसान द्वारा घोषणात्मक खातेदारी आदि का दावा पेश किया गया है लेकिन इसी कृषि भूमि के बारे में गयासुदीन आदि ने पूर्व में घोषणात्मक खातेदारी का दावा इन्ही आधारों पर इसी कृषि भूमि के बारे में पेश किया था जो वाद सं. 61/90 अनुवानी गयासुदीन बनाम नजीर हुसैन आदि का पेश किया था जो दावा वादी की अनुपस्थिति के कारण आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक 20/12/1993 को खारिज हो चुका है। कोई भी दावा आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत खारिज हो जाता है तो उन्हीं आधारों पर नया दावा कानूनन पेश नहीं किया जा सकता बल्कि पूर्व दावा में पारित आदेश को निरस्त करवाने एवं दावा को पुनः नम्बर पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र ही न्यायालय में पेश किया जाता है इस प्रकार इन प्रावधानों के अनुसार नया दावा पेश नहीं किया जा सकता। पूर्व दावा में वर्णित तथ्यों व आधार पर ही नया दावा उन्हीं पक्षकारान व उनके वारिसान द्वारा पेश किया गया है जो कानूनन पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वादीगण ने अपने जवाब में मुख्य तथ्य पेश किया है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के मुताबिक प्रकरण हाजा में तथ्य एवं विधि के प्रश्न अन्तर्वलित हैं। ऐसी सूरत में जहां तथ्य एवं विधि के प्रश्न अनतर्वलित हों, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर किसी भी दावा को कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तनकियात् कायम की जाकर ही अन्तर्वलित प्रश्नों का विधिपूर्ण विनिश्चय किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस की है कि कृषि भूमि ख. नं. 1579/996 तादादी 10 बिघा 10 बिश्वा वाके रोही कस्बा चूरू के बारे में मौजूदा दावा की वादीगण गयासुदीन आदि व उनके वारिसान द्वारा घोषणात्मक खातेदारी आदि का दावा पेश किया गया है लेकिन इसी कृषि भूमि के बारे में गयासुदीन आदि ने पूर्व में घोषणात्मक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खातेदारी का दावा इन्ही आधारों पर इसी कृषि भूमि के बारे में पेश किया था जो वाद सं. 61/90 अनुवानी गयासुदीन बनाम नजीर हुसैन आदि का पेश किया था जो दावा वादी की अनुपस्थिति के कारण आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक 20/12/1993 को खारिज हो चुका है इन तथ्यों का वकील वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में व अपनी बहस के दौरान खण्डन नहीं किया गया है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने यह भी तथ्य जाहिर किया है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के सबक्लोज (d) के उपबंधों के अनुसार मौजूदा दावा इस स्टेज पर ही खारिज योग्य है क्योंकि आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी दावा आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत खारिज हो जाता है तो उन्ही आधारों पर नया दावा कानूनन पेश नहीं किया जा सकता बल्कि पूर्व दावा में पारित आदेश को निरस्त करवाने एवं दावा को पुनः नम्बर पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र ही न्यायालय में पेश किया जाता है इस प्रकार इन प्रावधानों के अनुसार नया दावा पेश नहीं किया जा सकता पूर्व दावा में वर्णित तथ्यों व आधार पर ही नया दावा उन्हीं पक्षकारान व उनके वारिसान द्वारा पेश किया गया है जो कानूनन पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व मौजूदा दावा को खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान प्रतिवादी द्वारा पेश उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मौजूदा दावा घोषणात्मक खातेदारी का है जिसके द्वारा इन्तकाल सं. 316 दिनांक 12/1/61 को चैलेंज किया गया है जिस हेतु नया दावा पेश किया जा सकता है। मौजूदा दावा किसी कानूनी प्रावधान से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:— 2015 (Supp.) Civil Court Cases (Raj.) Page 422, 2018 (2) CJ (Civil) (Raj-) Page 952, 2016 (1) Civil Court Cases (Mad.) Page 107, 2014 (3) Civil Court Cases (Raj.) Page 217 जिनका ससम्मान अवलोकन व मनन किया गया।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि पूर्व दावा 61/90 अनुवानी गयासुदीन बनाम नजीर हुसैन आदि इसी न्यायालय में पेश हुआ था जिस दावा में भी नामान्तरकरण सं. 316 के आधार पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी को चैलेंज किया जाकर वादीगण के घोषणात्मक खातेदारी अनुतोष चाहा गया था व मौजूदा दावा में भी इसी नामान्तरकरण सं. 316 के आधार पर दर्ज खातेदारी को चैलेंज किया जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत दावा किया गया है। इस प्रकार दोनों ही दावों का कॉज ऑफ एक्शन व आधार एक ही है तथा पक्षकार भी समान हैं। विधि में वर्णित प्रावधान अनुसार यह वाद आदेश 9 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार विधिक रूप से पोषणीय नहीं है साथ ही पूर्व वाद व हस्तगत वाद हैतुक व वादाधार (Cause of action) भी समान होने के कारण हस्तगत वाद पोषणीय नहीं है। इसलिए न्यायालय के विनम्र मत में मौजूदा वाद आदेश 9 नियम 9 सी. पी. सी. के प्रावधानों से बाधित होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व मनन से जाहिर है कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2014 LAB.I.C. (NOC) 393 (J&K) व 2019 AIR CC 859 (P&H) में भी माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया है कि एक समान वादाधार एवं वाद हैतुक के दावा पर रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर सटीक रूप से चस्पा होते हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा दावा वादीगण आदेश 9 नियम 8 व 9 सीपीसी के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण आदेश 9 नियम 8 व 9 सीपीसी के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

अनुवानी

गयासुदीन आदि बनाम सईदन आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 143 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री प्रतापसिंह बिदावत एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब एवं श्री आनन्द बालाण व श्री हीरालाल एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण आदेश 9 नियम 8 व 9 सीपीसी के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी